अधिनियम के अन्तर्गत कानून में अधिकतम सीमा से फालतू खाली भूमि को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए रखने की व्यवस्था है। इसी प्रकार फार्म-हाउस के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि पर भी शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 2(0) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण— (ख) के अनुसार शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और वे संबंधित मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

विवरण

भूमि जोतों की राज्यवार चकबन्दी

राज्य का नाम	क्षेत्र लाख एकड़ में
1. आन्ध्र प्रदेश	8.18
2. बिहार	34.67
3. दिल्ली (केन्द्र शासित क्षेत्र)	2.57
4. गुजरात	67.28
5. हरियाणा	104.45
6. हिमाचल प्रदेश	17.17
7. जम्मू व कश्मीर	1.16
8. कर्नाटक	26.76
9. मध्य प्रदेश	95.53
10. महाराष्ट्र	520.47
11. उड़ीसा	17.05
12. पंजाब	121.30
13. राजस्थान	42.30
14. उत्तर प्रदेश	434.77
योगः	1493.74

नोटः असम, पश्चिम बंगाल और दादरा नगर हवेली से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में योजना स्वैच्छिक है।

पेयजल के लिए मास्टर योजना

2808. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेय जल की समस्या का सामना करने के लिए कोई विस्तृत मास्टर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

2809. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में 22.5 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले, 25.3 लाख परिवारों ने सहायता प्राप्त की जिसके फलस्वरूप उपलब्धि भौतिक लक्ष्य की 112.66% रही। इसी वर्ष के दौरान केन्द्र और राज्य की सब्सिडी को मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये कुल आवंटन (वित्तीय लक्ष्य) 703.6 करोड़ रुपये का था। इसके मुकाबले कार्यक्रम के अंतर्गत 773.1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्धि वित्तीय लक्ष्य की 109.87 प्रतिशत रही। इस तरह, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में

भौतिक और वित्तीय, दोनों लक्ष्यों की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। 1991-92 के लिये राज्यवार निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिये)**

(घ) केन्द्रीय सरकार ने सभी पात्र जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों की पहली किश्त पहले ही रिलीज कर दी है। कुछ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को उनके प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात् समन्वित ग्रामीण विकास की कार्यक्रम की निधियों की दूसरी किश्त भी रिलीज कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम के लिये समय पर निधियां रिलीज किए जाने की प्रत्याशा की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अपना अंशदान समय पर रिलीज कर दें। वर्ष 1992-93 के लिये निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य-निष्पादन की निरंतर निगरानी तथा समीक्षा की जा रही है।

विवरण

1991-92 के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	भौतिक लक्ष्य (सहायता किए जाने वाले परिवारों की संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (केन्द्र और राज्य की सबसिडी सहित कुल आवंटन) (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	165680	5177.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	15022	469.44
3.	असम	45249	1414.06
4.	बिहार	331578	10361.80
5.	गोआ	3129	97.80
6.	गुजरात	68227	2132.11
7.	हरियाणा	16326	510.19
8.	हिमाचल प्रदेश	5845	182.66
9.	जम्मू और कश्मीर	8163	255.10
10.	कर्नाटक	103701	3240.68
11.	केरल	56335	1760.48
12.	मध्य प्रदेश	219698	6865.57
13.	महाराष्ट्र	177472	5546.00
14.	मणिपुर	1310	40.94
15.	मेघालय	3930	122.82
16.	मिजोरम	6259	195.60
17.	नागालैण्ड	6572	205.38
18.	उड़ीसा	108539	3391.85
19.	पंजाब	13806	431.46
20.	राजस्थान	105818	3306.82
21.	सिक्किम	1251	39.12
22.	तमिलनाडु	148749	4648.44
23.	त्रिपुरा	4635	144.87
24.	उत्तर प्रदेश	443427	13857.12

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	185332	5791.65
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1564	48.90
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	312	9.78
29.	दिल्ली	1564	48.90
30.	दमन और दीव	625	19.56
31.	लक्षद्वीप	150,	5.00
32.	पांडिचेरी	1251	3912
	अखिल भारत	2251519	70360.74

Wasteland area in Madhya Pradesh

2810. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the existing total wasteland area in Madhya Pradesh with details of the existing wasteland area in each district of the State;

(b) the wasteland area which can withstand vegetation in the State and how much area is barren where no vegetation is possible;

(c) the area where afforestation has been done in the State during the last three years and how much area is likely to be covered under afforestation programme during the 8th five year plan period;

(d) whether Government have any proposal to convert the barren wasteland in the State into land which can withstand vegetation therein in the near *future;* and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELAND DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) and (b) No detailed survey has yet been conducted for identification of wastelands but according to one estimate, the total extent of wastelands in Madhya Pradesh is 201.42 lakh hectares. However, afforestation/tree planting under 20-Point Programme are being carried out all over the country including Madhya Pradesh under the Central and State Plans on areas which can withstand vegetation.

(c) to (e) The area covered under afforestation/tree planting in Madhya Pradesh during the last three years is as follows:—

	Afforestation/ Tree planting (in lakh ha.)	Distribution of seedlings (in lakh nos.)
1989-90	1.95	—
1990-91	0.75	464.40
1991-92	1.03	614.60
1992-93 (Target)	1.10	600.00

The details of the Eighth Five Year Plan have not yet been finalised and it is therefore not possible to give details about afforestation to be taken up during this period.

2811. *[Transferred to 16th December, 1902]*